be produced as evidence here. If you have certain other things, you can.. . . (*Interruptions*). . .

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Sir, there was a proposal which had been publicly discussed that the *Gupta* Judgement should be reversed and the power to appoint judges should be taken over by the Executive. The hon. Member is entitled to comment on it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Jethmalaniji, he did not speak in the way you spoke. He was levelling certain allegations.

SHRI NARENDRA MOHAN: No, no. I am not levelling any allegation.. . . (*Interruptions*). .

I was not levelling any allegations.. . . (*Interruptions*). . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He said,

नियुक्तियों के बारे में घपले हो रहे हैं . . (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि...

what he is saying is different.

SHRI NARENDRA MOHAN: How can this Government really eradicate corruption? What are they? They want their henchmen.. . . (*Interruptions*). . .

SHRI JOHN. F. FERNANDES: Sir, I want to clarify it. The Law Minister made a statement in Goa. In his statement he said that a committee will be appointed for the appointment of judges in the PMO. That is the declared policy of the Government. . . (*Interruptions*). . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अच्छा, अब इसे कंटीन्यू करने से पहले. . .

श्री नरेन्द्र मोहन: हां साहब, मुझे तो अभी कम से कम एक घंटा बोलना है. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप एक घंटा बोलें। लेकिन सदन का भी तो समय है। आपका समय है। आपका समय समाप्त नहीं हुआ है. . .

श्री नरेन्द्र मोहन: तो कल कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सुनिए मेरी बात। पांच बजे हमें एडर्जन करना है। कल होगा यह तो शायद ठीक नहीं। कल तो शुक्रवार है। जब नेक्स्ट डे या जिस रोज डिसक्शन होगा तो उस रोज आप बोलेंगे। इसके बाद फिर कंटीन्यू करेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: ठीक है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): उससे पहले अभी एक स्टेटमेंट है कम्युनिकेशंस मिनिस्टर का। चूंकि पांच बजे हमें एडर्जन करना है तो वे ले कर सकते हैं 9 टेबुल पर उसके बाद प्रेजीडेंट एड्रेस बाद में लिया जा सकता है।

5.00 P.M.
STATEMENT BY MINISTER

Village Public Telephones

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं।

यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय संचार मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं इसे भगवान की कृपा मानता हूं। मुझे आप यह अखबारों में पढ़ने को मिला है कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने टेलिफोन देने का हम लोगों का जो विशेषाधिकार है, वह एक अप्रैल से खारिज कर दिया है। मैं संचार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक अप्रैल तक तो हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? अगर एक अप्रैल के भीतर हम जितने टेलिफोन दे सकते हैं दे दें, तब तो आप को आपत्ति नहीं होगी? इस विषय में कृपया आप स्पष्टीकरण दें ... (व्यवधान) ... मैं आप सब के लिए पूछ रहा हूं। यह मेरे अकेले का नहीं, सब का सवाल है। आप को तो प्रशंसा करनी चाहिए। ... (व्यवधान) ...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमान्, कल मैं लोकसभा में बैठा हुआ था जब माननीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्देश दिया था। निर्देश देने के पूर्व मुझे किसी प्रकार की

कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार का निर्देश होने जा रहा है। यह अध्यक्ष जी का निर्देश था। अब चेयर के निर्देश को तो मानना ही पड़ता है और उन के निर्देश में यह स्पष्ट है कि पहली अप्रैल से यह समाप्त किया जाएगा। इतना हम ने वहां भी सुना। यही हमने टेलिविजन पर सुना और यही हम ने रेडियो पर सुना। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उस की कापी भी हम आप सब को भेज देंगे।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: उपसभाध्यक्ष जी,

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अब इस पर चर्चा न करें।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: इस का अर्थ यह हुआ कि एक अप्रैल तक तो हम अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I adjourn the House till 11 O' clock tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock, on Friday, the 28th February, 1997.